न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—134/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00134)

1. लाखा पुत्र देवा जाति रावत निवासी ग्राम दांदोला तारागढ़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर(फौत)
   1/1 राजूसिंह पुत्र लाखा
   1/2 सुरेन्द्रसिंह पुत्र लाखा
   1/3 रेखा देवी पुत्री लाखा पत्नि भंवरसिंह जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील तहसील ब्यावर।
   1/4 मंजू देवी पुत्री लाखा पत्नि भंवरसिंह जाति रावत निवासी अजीतगढ़ तहसील भीम जिला राजसमन्द।
   1/5 सीता देवी पुत्री लाखा पत्नि खंगार सिंह जाति रावत निवासी सहदेव नगर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कानसिंह पुत्र स्व0 लाला
2. नारायणसिंह पुत्र स्व0 लाला
3. पूनमसिंह पुत्र स्व0 लाला
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम दांदोला तारागढ़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर दिनांक 12.05.2017, वाद संख्या 50/ 2005.

उपस्थितः—

1. श्री मदन लाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री एल. एस माथुर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 13
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 12 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—29.09.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 50/2005 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/ रेस्पोडेन्ट सांख्या 1 लगायत 3 ने उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर के न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, के तहत ग्राम दांदोला तहसील ब्यावर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 1711, 1721, 1904, 1908, 2050, कुल किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा 3 बिस्वान्सी तथा ग्राम तारागढ़ में स्थित भूमि बाबत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आराजी जो आगे चलकर विवादग्रस्त कहलायेगी वादीगण तथा प्रतिवादी के पिता लाला पुत्र पन्ना उर्फ फत्ता के स्वर्गवास के बाद देवा व लाला पुत्रान पन्ना के

नाम खाते में आई उसी देवा तथा लाला ने अपने जीवनकाल में आज से 40 वर्ष पूर्व मौके पर बाहमी बंटवारा कर 1/2 हिस्सा कर मौके पर खेतों के बीच मेड डाल दी जो मौके पर मौजूद है तथा मौके पर बंटी हुई है उसी अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी/अपीलांट अपनी अपनी भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन प्रतिवादी की नियत खराब हो गई है तथा बंटवारा करने से साफ इंकार हो रहा है एवं मौके पर झगडा फसाद कर रहा है। प्रतिवादी/अपीलांट ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वादीगण के वाद के कथनों को अस्वीकार किया तथा यह कथन किया कि वादीगण ने जानबूझकर प्रस्तुत वाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संबंधों को उजागर नहीं किया है व न ही सजरा दिया है। प्रतिवादी/अपीलांट ने अपने जवाबदावें के साथ अपना परिवार का सजरा दर्शाते हुए आगे यह कथन किया कि वादीगण ने जानबूझकर खसरा नम्बर 1729 गलत अंकित किया है जबकि खसरा नम्बर 1721 है। उपरोक्त भूमि के अलावा वादीगण व प्रतिवादी/अपीलांट की गांव दादोला में अन्य पैतृक आराजीयात स्थित है जो भी वादीगण ने अपने वाद में नहीं दर्शाया है। प्रतिवादी के दादा का नाम पन्नाजी वादीगण ने गलत दर्शाया है जबकि वह पन्ना जी नहीं होकर फत्ता है। विवादित भूमि का पक्षकारों के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है वादीगण ने असत्य कथनों के आधार पर अपना वाद प्रस्तुत किया है। अंत में वाद वादीगण खारिज किए जाने का निवेदन किया है। तत्पश्चात पत्रावली को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प तारागढ में नियत करते हुए उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 द्वारा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करते हुए वाद में बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार ब्यावर से बंटवारा प्रस्ताव मंगाए जाने का आदेश प्रदान किए। अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 से असंतुष्ट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 उपस्थित नहीं हुए एवं ना ही लिखित बहस प्रस्तुत की है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने जवाब/बहस कथन किया कि अभिकथनों के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर वाद की पत्रावली वादीगण की साक्ष्य हेतु नियत की गई थी। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं नारायण व पूनम का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा वाद की पत्रावली वादीगण के गवाहों की जिरह हेतु दिनांक 15.05.2017 को नियत की गई थी किंतु उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2007 कैम्प तारागढ में नियत करते हुए बिना प्रतिवादी/अपीलांट व उसके अभिभाषक की सहमति के एवं बिना प्रकरण में अंकित बहस सुने आदेश अंतर्गत अपील द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर दिया। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर के समक्ष प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत नहीं था। उनके समक्ष वाद पत्रावली वादीगण के गवाहों की जिरह हेतु नियत थी। दिनांक 12.05.2017 को वे केवल वादीगण के गवाहों से जिरह करने का अवसर प्रतिवादी/अपीलांट को प्रदान करते हुए वाद की पत्रावली प्रतिवादी/अपीलांट की साक्ष्य हेतु नियत कर सकते थे। दिनांक 12.05.2017 को उनके समक्ष पत्रावली बहस हेतु परिपक्व नहीं होते हुए भी उन्होंने सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर

प्रतिवादी/अपीलांट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का संपूर्ण अवसर प्रदान किए बिना व अपीलांट की साक्ष्य बंद किए बिना आदेश अंतर्गत अपील द्वारा वादीगण के वाद को आंशिक रूप से डिक्री करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष वाद की पत्रावली वादीगण के गवाहों की जिरह हेतु नियत थी तथा प्रकरण में दिनांक 15.05.2017 नियत कर रखी थी। दिनांक 12.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैंप कोर्ट तारागढ़ में नियत किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट के अभिभाषक को नहीं दी गई। अपीलांट को राजस्व लोक अदालत के समक्ष बुलाया गया था किंतु अपीलांट ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई सहमति बाबत वाद निर्णित किए जाने हेतु नहीं दी ना ही पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई बहस की जब अपीलांट ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई बहस ही नहीं की तो बिना अपीलांट की सहमति के व सुनवाई का अवसर दिए उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर को प्रकरण को जो कि उनके समक्ष बहस हेतु परिपक्व नहीं था। वाद का अंतिम रूप से निस्तारण करने का अधिकार नहीं था। राजस्व लोक अदालत में उभयपक्षों के हस्ताक्षर आदेशिका में लिए जाकर ही सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है उपरोक्त प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा राजीनामे से न तो प्रकरण को लोक अदालत में रखवाया गया न ही लोक अदालत के समक्ष उन्होंने किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत कर वाद का निस्तारण करने में अपनी सहमति दी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर के निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.05.2017 को निरस्त किये जावें एवं वाद पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्धान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस में कथन किया कि अपील में राजस्थान सरकार को प्रोफर्मल पक्षकार बनाया गया है।

6. विद्धान अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में प्रकरण दिनांक 15.05.2017 नियत कर रखा था। दिनांक 12.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैंप कोर्ट तारागढ़ में नियत किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट को लोक अदालत नोटिस के द्वारा दी गई। अपीलांट को राजस्व लोक अदालत के समक्ष बुलाया गया था किंतु अपीलांट ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष पक्षकारान की लिखित में किसी प्रकार की कोई सहमति/राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया हुआ है। लोक अदालत की भावना वहॉ मान्य होगी जहॉ पर सभी पक्षकारान के बीच लिखित में समझौता, राजीनामा या विड्रो जैसे प्रकरण का निर्णय किया जा सकता है। जहॉ पक्षकारान किसी प्रकरण को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लड़ना चाहते है वहॉ पर लोक अदालत या कैम्प कोर्ट की भावना से प्रभाव रूप से पक्षकारान के मध्य निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा उक्त प्रकरण को लोक अदालत की परिभाषा के विरूद्ध जाकर प्रकरणों की संख्या बढ़ाये जाने के आधार पर यह आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2017 को प्रकरण लोक अदालत मे आपसी लिखित में सहमति/राजीनामा पत्रावली पर मौजूद नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया गया निर्णय लोक अदालत की भावना के अनुरूप नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को तकनीकी आधार पर

निर्णित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि यदि उनके समक्ष लिखित में राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ था, उस स्थिति में प्रकरण में निर्णय नहीं कर, प्रकरण में आगामी पेशी नियत कर प्रकरण को पूर्व स्थिति में रखा जाकर आगामी कार्यवाही हेतु नियत की जाने की कार्यवाही करनी थी। उपरोक्त कारणो से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय तारागढ़ में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित करते हुए, सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई कर समुचित अवसर देते हुए तनकीवार विस्तृत निर्णय पुनः पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा वाद संख्या 50/2005 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित करते हुए, सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई कर समुचित अवसर देते हुए तनकीवार विस्तृत निर्णय पुनः पारित करें।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर